कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक-204/11सी-कन्नौज/FP/UP/Road/22835/2016, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 28, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0-एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषयः- जनपद-कन्नौज में छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना-मार्ग (MDR-13) किमी0 0.000 से 31.100 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 21.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1554 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/06/22/2017/एफ0सी0/148, दिनांक 14.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा इंगित सूचनाओं के निराकरण हेतु पत्र सम्बन्धित कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया था। संदर्भित पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कन्नौज (जिस पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है), के पत्रांक-1117/IC, दिनांक 17.07.2017 द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसकी एक प्रति सीडी सहित एतत्सह संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।
(सी0डी0)सहित।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 204 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, उ0प्रशासन, वन अनुभाग-2, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख की प्रति भारत सरकार प्रेषित कराने की कृपा करें। (प्रति संलग्न)

2- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।

3- प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज।

4- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कन्नौज।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।